न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 12/2018

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2018/00124

अनवान

1. हरसींगाराम पुत्र बिजला जाति कलबी निवासी किलवा तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी...........

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचौर।
3. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचौर

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 09.10.2018

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरीउपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमाराम चौधरी।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 20.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कीलवा पटवार हल्का कीलवा में पैतृक सम्पति का खेत खसरा नम्बर पुराना 455 रकबा 29 बीधा 12 वीसवा का आया हुआ है जिसका पुराना नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है उक्त पुराने खेत खसरा नम्बर 455 में से कोई रास्ता वगैरा नही था उक्त खेत के पडौस में उतरी तरफ कटाण रास्ता चलता था जिसके खसरा नम्बर 452 है जो पुराना नक्शा ट्रेश से स्पष्ट है। प्रार्थी का मूल रूप में खेत नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित ABCDEFGHIA माफिक था जो लाल लाईन में दर्शाया है। पुराने प्रार्थी के पैतृक खेत खसरा नम्बर 455 के नवीन पैमाईस [illegible] द्वारा [illegible] 726/931, 734/949, 748/950 रकबा कमशः 0.01, 4.48, 0.17, [illegible] उक्त नवीन पैमाईस अधिकारियो को राजस्व रेकर्ड बिना [illegible] न्यायालय के [illegible] के परिवर्तन करने का [illegible] अधिकार नही होने के उपरान्त भी नवीन पैमाईस अधिकारियो [illegible] अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रार्थी के खेत के उत्तरी तरफ पडौस में रास्ता होने के उपरान्त भी प्रार्थी के खेत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता इन्द्राज कर दिया तथा प्रार्थी के खेत को अनावश्यक रूप से टुकडो में बांटकर बिच में रास्ता इन्द्राज कर दिया जो इन्द्राज विधिविरूद्ध व अधिकारिता विहिन होने से निरस्त योग्य है। उक्त विधिविरूद्ध इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी को अभी दिनांक 15/09/2018 को उस समय हुई तब अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से मौके पर JCB भिजवाकर प्रार्थी के खेत मे से डामर सड़क निकालने की धमकी दी तब प्रार्थी ने प्रार्थी के खेतो की नई व पुरानी नकले निकलवाई तब पुख्ता जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामे प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पुराने खेत खसरा नम्बर 455 वर्तमान खसरा नम्बर 726/931 के पडौस में उतरी तरफ चल रहे रास्ता खसरा नम्बर 452 वर्तमान खसरा नम्बर 746 को पुर्ववत अनुसार इन्द्राज (तरमीम) किये जाने का आदेश तहसीलदार सांचौर को दिया जावें।

2. हमने अधिवक्ता अभयपक्षकारान की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के पुराने पैत्रक खेत ख.स. 455 के नवीन पैमाई अधिकारियों द्वारा ख.सं. 749,750, 726/931, 734/749, 748/900 रकबा 0. 01, 4.48, 0.17, 0.02, 0.11 नवसृजित किये। उक्त नवीन पैमाईश अधिकारियों को राजस्व रेकर्ड बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही होने के उपरान्त भी नवीन पैमाईश अधिकारियों ने अपने अधिकार के बाहर जाकर प्रार्थी के खेत में रास्ता इन्द्राज कर दिया तथा प्रार्थी के खेत को अनावश्यक रूप से टुकड़े में बांटकर बीच में रास्ता इन्द्राज कर दिया जो इन्द्राज विधि–विरूद्ध व अधिकारिता विहिन होने से निरस्त योग्य है। अतः पुराने खेत ख.सं. 455 वर्तमान ख.सं. 726/931 के पड़ोस में उत्तरी तरफ चल रहे रास्ता ख.सं. 452 वर्तमान ख.सं. 746 को पूर्ववत अनुसार ईन्द्राज करने का आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का आधारहीन, सारहीन होने से खारिज फरमावे।

3. अप्रार्थी राजपैरोकर सांचौर ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रास्ता खसरा संख्या 726, 931, 734/949 के दक्षिणी भाग एवं ख.सं. 750 के उत्तरी माठ पर चल रहा है मौके पर ग्रेवल सड़क निर्मित है तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं मौके पर चल रहे रास्ते के कोई भिन्नता नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षकार की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दसतावेज जवाब राज पैरोकार इत्यादि का भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पैमाईश अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन कर प्रार्थी के खेत के उत्तरी तरफ पड़ोस में रास्ता होने क उपरान्त भी प्रार्थी के खेत में रास्ता इन्द्राज कर दिया जिसे निरस्त कर पुनः पुरानी [illegible] इन्द्राज (तरमीम) कर किस्म परिवर्तन करने का निवेदन किया है कि रास्ते के [illegible] 726/931 व 734/949 के दक्षिणी माठ एवं ख.सं. 750 के उत्तरी माठ पर वर्तमान [illegible] रास्ता चलना पाया गया है। मौके पर ग्रेवल सड़क नही है व रास्ते के दोनो तरफ बड़ी ब[illegible]ड़ बनी हुई है वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं मौके पर चल रहे रास्ते में कोई भिन्नता नही है इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नही किया है एवं पुराने रास्ते के ख.सं. एवं नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार ही रास्ता इन्द्राज किया है तथा वर्तमान में रास्ता पुराने स्थान की जगह पर ही चल रहा है तथा साथ में किस्म परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त नही है। किस्म परिवर्तन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधानों क तहत की जा सकती है। उक्त शक्तियां/क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर/राजस्व मण्डल को प्राप्त है। अतः पैमाईश अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन नही करने तथा पुराने स्थान पर ही रास्ता इन्द्राज करने से तथ्य किस्म परिवर्तन कि शक्तियां राजस्व अधिकारियों को नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होने से खारिज किया जाता है।

–:आदेशः–

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा– 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर में एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर(जालोर)

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner